<u>प्रेस विज्ञप्ति</u>

<u>07.06.2025</u>

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), कोलकाता आंचलिक कार्यालय ने सुश्री उमा जैसिंटा बर्नी और अन्य के डिजिटल अरेस्ट एवं साइबर धोखाधड़ी के एक मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत 31.05.2025 को योगेश दुआ और अन्य से जुड़ी 10.08 करोड़ रुपये (लगभग) की संपत्ति को अस्थायी रूप से कुर्क किया है। ईडी ने इस मामले में माननीय विशेष अदालत (पीएमएलए), कोलकाता के समक्ष योगेश दुआ, चिराग कपूर और 11 अन्य के खिलाफ 02.06.2025 को अभियोजन शिकायत भी दायर की है।

ईडी ने आईपीसी, 1860 और सूचना और प्रौद्योगिकी, 2000 की विभिन्न धाराओं के तहत आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ साइबर पुलिस थाना, कोलकाता में कोलकाता पुलिस द्वारा दर्ज एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की।

ईडी की जांच से पता चला है कि आरोपी व्यक्ति निर्दोष पीड़ितों से पैसे उगाहने की आपराधिक साजिश में शामिल थे, जिसमें वे सीबीआई और सीमा शुल्क जैसी एजेंसियों के सरकारी अधिकारी के रूप में प्रतिरूपित होते हैं। वे पीड़ितों से फोन और व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क करते थे और उन पर मनी लॉन्ड्रिंग गतिविधियों में शामिल होने का झूठा आरोप लगाते थे। उन्होंने ऐसे पीड़ितों को गिरफ्तारी और संपत्ति जब्त करने की धमकी भी दी। आरोपी व्यक्तियों ने पीड़ितों के नाम पर जारी किए गए माननीय सर्वोच्च न्यायालय, आरबीआई, सीमा शुल्क और सीबीआई के लोगो वाले जाली पत्रों जैसे फर्जी दस्तावेज बनाए और पीड़ितों से पैसे निकालने के लिए इन फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल किया। इसके बाद, डिजिटल गिरफ्तारी, निवेश घोटाले और व्हाट्सएप धोखाधड़ी आदि सहित विभिन्न साइबर धोखाधड़ी से संबंधित सात अतिरिक्त एफआईआर के आम आरोपी व्यक्तियों और लिंक बैंक खातों से जुड़े मामलो को एक साथ कर दिया गया है।

ईडी की जांच में यह भी खुलासा हुआ है कि चालू खाते उन डमी लोगों के नाम पर खोले गए जिन्होंने कमीशन के बदले में अपना नाम उधार दिया था। इन खातों का उपयोग विभिन्न साइबर धोखाधड़ी के माध्यम से उत्पन्न धन एकत्र करने के लिए किया गया था। जांच से पता चला है कि घोटालेबाजों द्वारा 300 से अधिक बैंक खातों का इस्तेमाल अपराध की आय के संग्रह, स्तरित(लेयरिंग) और शोधन(लॉन्ड्रिंग) के लिए किया गया था। इसके अतिरिक्त, धोखाधड़ी से विभिन्न व्यक्तियों के नाम से कई सिम कार्ड प्राप्त किए गए थे और अंतर्राष्ट्रीय रोमिंग चालू होने के बाद लिंक किए गए खातों के परिचालन के लिए इन्हें उनके प्रमुख सहयोगियों को विदेश भेज दिया गया था। बैंक खातों के आगे विश्लेषण से पता चलता है कि अवैध आय के लेनदेन के स्त्रोत को स्तरित करने और छिपाने के उद्देश्य से जानबूझकर पीड़ितों से धोखाधड़ी से प्राप्त की गई धनराशि को तुरंत कई खातों में स्थानांतरित कर दिया जाता है।

इससे पहले, ईडी ने 04.04.2025 को पीएमएलए के प्रावधान के तहत दो प्रमुख व्यक्तियों योगेश दुआ, दिल्ली निवासी और बेंगलुरु निवासी चिराग कपूर @ चिंतक राज को गिरफ्तार किया था। वर्तमान में वे न्यायिक हिरासत में हैं। इसके अलावा, अब तक चलाई गई विभिन्न तलाशियों के परिणामस्वरूप अपराध-संकेती दस्तावेजों और डिजिटल सबूतों की जब्ती हुई है।

आगे की जांच प्रगति पर है।